

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2017/200

दायर दिनांक 14.07.2017

वादी	प्रतिवादीगण
1. सुल्तान पुत्र श्री जोमा जाति भाट मुसलमान निवासी देवराठी तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. आबादी पुत्र इस्माईल 2. मजीद पुत्र इस्माईल 3. सहीदा बानों पत्नी सुल्तान खां 4. शरीफन पुत्री आसीन 5. अजीज पुत्र लाला 6. इकबाल पुत्र लाला 7. मकबुल पुत्र लाला 8. हकीम पुत्र गुलाब 9. रहीम पुत्र गुलाब 10. रसुल पुत्र गुलाब 11. रजब पुत्र गुलाब 12. अनुस पुत्र गुलाब जाति भाट मुसलमान निवासीगण देवराठी तहसील डीडवाना जिला नागौर 13. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित-

1. श्री शरीफ शेरानी अधिवक्त वादी
2. श्री मो0 रफीक अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 01 ता 05 व 07 ता 12

-:: निर्णय ::-


दिनांक 05.09.2017

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 12 एक ही परिवार से है तथा खसरा सं0 264 रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा, खसरा सं0 267 रकबा 24 बीघा 03 बिस्वा, खसरा सं0 212 रकबा 27 बीघा 17 बिस्वा वाके सरहद देवराठी में स्थित है। जो संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिनका मौखिक बंटवारा निम्नानुसार है:-

1 - खेत खसरा सं0 264 रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा वाके सरहद देवराठी में नजरी नक्शा अनुसार बंटवारा निम्न प्रकार से है:-

क - प्रतिवादी सं0 03 सहीदा बानों के 04 बीघा 03 बिस्वा भूमि।

ख - प्रतिवादी सं0 02 मजीद के 05 बीघा 15 बिस्वा भूमि।


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 2017/200
 दायर दिनांक 14.07.2017, निर्णय दिनांक 05.09.2017
 सुल्तान बनाम आबदी, वगैरा।

- ग - प्रतिवादी सं० 01 आबदी के 05 बीघा 15 बिस्वा भूमि।
 2 - खेत खसरा सं० 267 रकबा 24 बीघा 03 बिस्वा सरहद देवराठी में नजरी नक्शा अनुसार निम्न प्रकार से है :-
 क - वादी सुल्तान के 05 बीघा भूमि।
 ख - प्रतिवादी सं० 04 शरीफन के 05 बीघा भूमि
 ग - प्रतिवादी सं० 05 अजीज के 04 बीघा 05 बिस्वा।
 घ - प्रतिवादी सं० 06 इकबाल के 04 बीघा 06 बिस्वा भूमि।
 ङ - प्रतिवादी सं० 07 मकबुल के 04 बीघा 06 बिस्वा भूमि।
 च - प्रतिवादी सं० 02 मजीद व प्रतिवादी सं० 01 आबदी के संयुक्त रूप से 01 बीघा 06 बिस्वा भूमि।
 3 - खसरा सं० 212 रकबा 27 बीघा 17 बिस्वा वाके सरहद देवराठी के नजरी नक्शा अनुसार निम्न प्रकार से है:-
 क- प्रतिवादी सं० 08 हकीम के 04 बीघा भूमि।
 ख- प्रतिवादी सं० 12 अनुस के 03 बीघा 18 बिस्वा भूमि।
 ग- प्रतिवादी सं० 02 मजीद व प्रतिवादी सं० 01 आबदी के संयुक्त रूप से 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि।
 घ- प्रतिवादी सं० 04 शरीफन के 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि।
 ङ- वादी सुल्तान के 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि।
 च- प्रतिवादी सं० 05 अजीज व प्रतिवादी सं० 06 इकबाल, प्रतिवादी सं० 07 मकबुल के संयुक्त रूप से 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि
 छ- प्रतिवादी सं० 10 रसुल के 04 बीघा भूमि
 ज- प्रतिवादी सं० 11 रजब के 04 बीघा 01 बिस्वा भूमि।
 झ- प्रतिवादी सं० 09 रहिम के 03 बीघा 18 बिस्वा भूमि।
 उपरोक्त बंट व कब्जे के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण मौके पर काबिज है परन्तु बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं होने के कारण वादी को यह बंटवारा का वाद करना लाजमी आया है।
 प्रार्थना वादी है कि
 1 - खेत खसरा सं० 264 रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा वाके सरहद देवराठी में नजरी नक्शा अनुसार बंटवारा निम्न प्रकार से राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें:-
 क - प्रतिवादी सं० 03 सहीदा बानों के 04 बीघा 03 बिस्वा भूमि।
 ख - प्रतिवादी सं० 02 मजीद के 05 बीघा 15 बिस्वा भूमि।
 ग - प्रतिवादी सं० 01 आबदी के 05 बीघा 15 बिस्वा भूमि।
 2 - खेत खसरा सं० 267 रकबा 24 बीघा 03 बिस्वा सरहद देवराठी में नजरी नक्शा अनुसार निम्न प्रकार से राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें:-
 क - वादी सुल्तान के 05 बीघा भूमि।
 ख - प्रतिवादी सं० 04 शरीफन के 05 बीघा भूमि
 ग - प्रतिवादी सं० 05 अजीज के 04 बीघा 05 बिस्वा।
 घ - प्रतिवादी सं० 06 इकबाल के 04 बीघा 06 बिस्वा भूमि।
 ङ - प्रतिवादी सं० 07 मकबुल के 04 बीघा 06 बिस्वा भूमि।

सहायक कलेक्टर
 डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 2017/200
 वायर दिनांक 14.07.2017, निर्णय दिनांक 05.09.2017
 सुल्तान बनाम आबदी, वगैरा।

च - प्रतिवादी सं० 02 मजीद व प्रतिवादी सं० 01 आबदी के संयुक्त रूप से 01 बीघा 06 बिस्वा भूमि।

3 - खसरा सं० 212 रकबा 27 बीघा 17 बिस्वा वाके सरहद देवराठी के नजरी नक्शा अनुसार निम्न प्रकार से राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें:-

क- प्रतिवादी सं० 08 हकीम के 04 बीघा भूमि।

ख- प्रतिवादी सं० 12 अनुस के 03 बीघा 18 बिस्वा भूमि।

ग- प्रतिवादी सं० 02 मजीद व प्रतिवादी सं० 01 आबदी के संयुक्त रूप से 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि।

घ- प्रतिवादी सं० 04 शरीफन के 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि।

ड- वादी सुल्तान के 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि।

च- प्रतिवादी सं० 05 अजीज व प्रतिवादी सं० 06 इकबाल, प्रतिवादी सं० 07 मकबुल के संयुक्त रूप से 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि

छ- प्रतिवादी सं० 10 रसुल के 04 बीघा भूमि

ज- प्रतिवादी सं० 11 रजब के 04 बीघा 01 बिस्वा भूमि।

झ- प्रतिवादी सं० 09 रहिम के 03 बीघा 18 बिस्वा भूमि।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 13 को वास्ते जवाबदेही हाजर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण सं० 06 व 13 बावजुद तामीलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी व प्रतिवादी सं० 01 ता 05 तथा 07 ता 12 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत पक्षकारान को पढकर सुनाई व समझाई गई। जिसे बिना किसी लालच व दबाव के सही होना स्वीकार किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। रेकॉर्ड का अवलोकन किया। वकुलाय जरिये राजीनामा व नजरी नक्शा अनुसार वाद डिक्री किये जाने की इस्तदुआ कर रहे है। वादी के वाद का किसी भी पक्षकार द्वारा खण्डित नहीं किया गया है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री सादिर किया जाता है।


आदेश

हस्ब दावा जरिये राजीनामा डिक्री सादिर कर सरहद मौजा देवराठी के खसरा सं० 264 रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा में नजरी नक्शा अनुसार प्रतिवादी सं० 03 सहीदा बानों के 04 बीघा 03 बिस्वा भूमि, प्रतिवादी सं० 02 मजीद के 05 बीघा 15 बिस्वा भूमि, प्रतिवादी सं० 01 आबदी के 05 बीघा 15 बिस्वा भूमि घोषित की जाती है इसी प्रकार खसरा सं० 267 रकबा 24 बीघा 03 में नजरी नक्शा अनुसार वादी सुल्तान के 05 बीघा भूमि, प्रतिवादी सं० 04 शरीफन के 05 बीघा भूमि, प्रतिवादी सं० 05 अजीज के 04 बीघा 05 बिस्वा, प्रतिवादी सं० 06 इकबाल के 04 बीघा 06 बिस्वा भूमि, प्रतिवादी सं० 07 मकबुल के 04 बीघा 06 बिस्वा भूमि, प्रतिवादी सं० 02 मजीद व प्रतिवादी सं० 01 आबदी के संयुक्त रूप से 01


सहायक कलेक्टर
 डोडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 2017/200
 दायर दिनांक 14.07.2017, निर्णय दिनांक 05.09.2017
 सुल्तान बनाम आबदी, वगैरा।

बीघा 06 बिस्वा भूमि घोषित की जाती है तथा खसरा सं० 212 रकबा 27 बीघा 17 बिस्वा वाके सरहद देवराठी के नजरी नक्शा अनुसार प्रतिवादी सं० 08 हकीम के 04 बीघा भूमि, प्रतिवादी सं० 12 अनुस के 03 बीघा 18 बिस्वा भूमि, प्रतिवादी सं० 02 मजीद व प्रतिवादी सं० 01 आबदी के संयुक्त रूप से 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि, प्रतिवादी सं० 04 शरीफन के 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि, वादी सुल्तान के 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि, प्रतिवादी सं० 05 अजीज व प्रतिवादी सं० 06 इकवाल, प्रतिवादी सं० 07 मकबुल के संयुक्त रूप से 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि, प्रतिवादी सं० 10 रसुल के 04 बीघा भूमि, प्रतिवादी सं० 11 रजब के 04 बीघा 01 बिस्वा भूमि, प्रतिवादी सं० 09 रहिम के 03 बीघा 18 बिस्वा भूमि घोषित की जाती है। उपरोक्तानुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा कर पक्षकारान को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा व नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।


 (उत्तमसिंह शेखावत)
 सहायक R.A.S. लेक्टर
 सहायक कलक्टर
 डीडवाना (नागौर)
 डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 05.09.2017 को सरे इजलास मे सुनाया गया।


 (उत्तमसिंह शेखावत)
 सहायक R.A.S. लेक्टर
 सहायक कलक्टर
 डीडवाना (नागौर)
 डीडवाना

डिगरी मुकद्दमें इब्दाई
(आर्डर 20, रुल 6, 7 जाया दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बड़जलास : श्री उद्योगसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2017/200

दायर दिनांक 14.07.2017

वादी	प्रतिवादीगण
1. सुल्तान पुत्र श्री जीमा जाति भाट मुसलमान निवासी देवराठी तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. आबादी पुत्र इस्माईल वगैरह समस्त जाति भाट मुसलमान निवासीगण देवराठी तहसील डीडवाना जिला नागौर

दावा बाबत

घोषणा खातेदासी, बंटवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निवेद्याज्ञा,
अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 R.T.Act.

दिनांक 05.09.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिरसाल कतई कबरु हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री शरीफ शैरानी अधिवक्ता वादी व श्री मो० शफीक अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हरब दावा जरिये राजीनामा डिक्री सादिर कर सरहद देवराठी के खसरा सं० 264 रकबा 15 बीघा 13 बिरवा में नजरी नक्शा अनुसार प्रतिवादी सं० 03 सहीदा बानों के 04 बीघा 03 बिरवा भूमि, प्रतिवादी सं० 02 मजीद के 05 बीघा 15 बिरवा भूमि, प्रतिवादी सं० 01 आबदी के 05 बीघा 15 बिरवा भूमि घोषित की जाती है इसी प्रकार खसरा सं० 267 रकबा 24 बीघा 03 में नजरी नक्शा अनुसार वादी सुल्तान के 05 बीघा भूमि, प्रतिवादी सं० 04 शरीफन के 05 बीघा भूमि, प्रतिवादी सं० 05 अजीज के 04 बीघा 05 बिरवा, प्रतिवादी सं० 06 इकबाल के 04 बीघा 06 बिरवा भूमि, प्रतिवादी सं० 07 मकबुल के 04 बीघा 06 बिरवा भूमि, प्रतिवादी सं० 02 मजीद व प्रतिवादी सं० 01 आबदी के संयुक्त रूप से 01 बीघा 06 बिरवा भूमि घोषित की जाती है तथा खसरा सं० 212 रकबा 27 बीघा 17 बिरवा वाके सरहद देवराठी के नजरी नक्शा अनुसार प्रतिवादी सं० 08 हकीम के 04 बीघा भूमि, प्रतिवादी सं० 12 अनुस के 03 बीघा 18 बिरवा भूमि, प्रतिवादी सं० 02 मजीद व प्रतिवादी सं० 01 आबदी के संयुक्त रूप से 01 बीघा 10 बिरवा भूमि, प्रतिवादी सं० 04 शरीफन के 03 बीघा 10 बिरवा भूमि, वादी सुल्तान के 01 बीघा 10 बिरवा भूमि, प्रतिवादी सं० 05 अजीज व प्रतिवादी सं० 06 इकबाल, प्रतिवादी सं० 07 मकबुल के संयुक्त रूप से 01 बीघा 10 बिरवा भूमि, प्रतिवादी सं० 10 रसुल के 04 बीघा भूमि, प्रतिवादी सं० 11 रजब के 04 बीघा 01 बिरवा भूमि, प्रतिवादी सं० 09 रहिम के 03 बीघा 18 बिरवा भूमि घोषित की जाती है। उपरोक्तानुसार बाई गिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा कर पक्षकारान को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा व नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

गौज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 05.09.2017 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	-		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	-		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय			मुताफरिफ		
हुक्मनामा					
मुताफरिफ					
मिजान			मिजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)